जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 18-11-2020

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

01 अदद चोरी की मोटर साइकिल के साथ वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 18.11.2020 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री ब्रजेश सिंह के निर्देशन में चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा बनाई गया पुलिस टीम उ0नि0 अनिरुद्ध सिंह व उ0नि0 दयानाथ राम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए नेदुला चौराहा से अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद मोटरसाईकिल पैशन प्रो बिना नंबर की बरामद हुई। जिसे अभियुक्त द्वारा दिनांक 11.11.2020 को नवीन फल मण्डी गेट पुरानी बस्ती से चुराई गयी थी। जिसके संबन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 668/2020 धारा 41 / 411 भादवि बनाम राहुल कुमार पुत्र संतलाल निवासी नरियांव पोस्ट पकरी धौरहरा परसा हजाम थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती के विरुद्ध पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम पता-

राहुल कुमार पुत्र संतलाल निवासी नरियांव पोस्ट पकरी धौरहरा परसा हजाम थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती

गिरफ्तारी टीम-

उ0नि0 अनिरुद्ध सिंह प्रभारी चौरी नवीन मंडी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर, उ0नि0 दयानाथ राम थाना कोतवाली खलीलाबाद।

09 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त नाम पता महेन्द्र निषाद पुत्र झगरू निषाद निवासी उजरौटी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को 09 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 354/2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 11 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 14 89 द्वारा जमीनी विवाद को कराया गया शांत – पीआरवी 1489 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 10100 से कालर रामनयन ने दो पक्षों मे जमीनी विवाद / मारपीट के संबंध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 10 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचकर विवाद को शांत कराया गया तथा प्रतिवादी को पकड़कर आवश्यक कार्यवाही हेतु थाना महुली को सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुचकर विवाद को शांत कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।।

पीआरवी स्टाफ –आरक्षी अरविन्द गुप्ता, हो0चा0 नागेन्द्र प्रसाद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 220 वाहनो से 206000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 18-11-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 220 वाहनो से 206000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।